अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय व्यवहार न्यायालय – औरंगाबाद

मुफस्सिल 100/18 सत्र वाद 508/18 405/18 दिनांक– 07.09.2019

संतोष पासवान

अभियुक्त संतोष पासवान जो दिनांक 01.09.2018 से अभिरक्षा में है, की ओर से जमानत आवेदन पत्र उसके अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को दी गयी। जमानत के बिन्दु पर सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 09.06.2018 को सूचक का छोटा भाई अन्य बच्चों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था तभी अभियुक्तगण वहॉ आकर क्रिकेट खेलने से मना किये तब उभय पक्षों में विवाद होने लगा तब सूचक अपने चचेरे भाइयों के साथ संतोष पासवान के घर समझाने वास्ते जा रहा था तभी रास्ते में ही अभियुक्तगण जिसमें संतोष पासवान भी शामिल था लाठी गंड़ासा से लैस होकर घेर लिए। संतोष पासवान, सूर्यदेव यादव के सर पर लाठी से मारे जिससे वे गिर कर बेहोश हो गये। सूर्यदेव यादव को गांव तथा घर वाले लादकर सदर अस्पताल औरंगाबाद लाये। जहॉ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त का कथन है कि वह बेकसूर है, करीब एक वर्ष से अभिरक्षा में है। अतः जमानत पर छोड़ा जाय।

प्रस्तुत मामले में अन्य धाराओं के साथ धारा 307,302 भा0द0वि में संज्ञान लिया गया है। दिनांक 01.04.2019 को प्रस्तुत मामले में आरोप का गठन किया जा चुका है। जैसा कि माननीय न्यायालय के क्रि0 मिस0 180/2019 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

अपराध की गंभीर प्रकृति तथा माननीय न्यायालय द्वारा खारिज जमानत को देखते हुए मैं अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः अभियुक्त की ओर से परिचालित जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

निखिलेश कुमार त्रिपाठी
अपर जिला न्यायाधीश, द्वितीय,
औरंगाबाद।